कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 9 नवम्बर, 2013 को सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करते हुये निर्णय लिये गयेः–

1–शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में–

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में कार्यरत कुल 4525 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिनमें से 3652 शिक्षा मित्र स्नातक योग्यताधारी हैं, जिन्हें विभाग द्वारा डी.एल.एड./बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है। इन 3652 शिक्षा मित्रों में से 250 शिक्षा मित्रों द्वारा टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण कर सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियमित नियुक्ति पा ली गई है।

2–शिक्षा आचार्यों का शिक्षा मित्र के रूप में समायोजन–

प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्रों के रूप में समायोजित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राविधान को देखते हुये निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तत्काल प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा)

3–उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति–

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 267 उर्दू शिक्षकों के पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 226 अध्यापक कार्यरत हैं। 41 पद रिक्त हैं। उर्दू शिक्षकों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता को टी.ई.टी. में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव कैबनेट में लाने के निर्देश दिये गये हैं। महानिदेशक ने उर्दू में डी.एल.एड. के लिये डायट हरिद्वार, बागेश्वर व ऊधम सिंह नगर में व्यवस्था के लिये प्रस्ताव 10 दिन के अन्दर तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को दिये गये।

(कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा)

4–तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अशासकीय विद्यालयों में 219 शिक्षक जो तदर्थ रूप से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित करने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव शासन के प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/शासन)

5–मानदेय पर कार्यरत पी.टी.ए. शिक्षकों के सम्बन्ध में :–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 590 के सापेक्ष अर्ह 388 पी.टी.ए. शिक्षक कार्यरत हैं तथा 90 पी.टी.ए. शिक्षकों को मानदेय की परिधि में लिये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 7000 रूपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इन शिक्षकों में से 478 शिक्षक ही निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं। इन पी.टी.ए. शिक्षकों को तदर्थ/नियमितीकरण हेतु गठित कैबिनेट उप समिति के निर्णयानुसार शासन स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

साथ ही महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा यह भी निदेश दिये गये कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूर्व में गठित पैनल को निरस्त करते हुये पुनः नये सिरे से इन पैनलों का गठन किये जाने हेतु सूची महानिदेशक को एक सप्ताह में उपलब्ध करायेंगे।

बैठक में यह भी चर्चा की गई कि वर्ष 2011 के शासनादेश में यह प्रावधान है कि भविष्य में कोई भी पी.टी.ए. शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय द्वारा नहीं की जायेगी। यदि 2011 के बाद किसी विद्यालय ने पी.टी.ए. नियुक्त किये हैं तो उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा करेंगे। इस सम्बन्ध में विद्यालयों का सत्यापन 15 दिनों के अन्दर करते हुये निदेशक माध्यमिक शिक्षा आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे। इस सम्बन्ध में जो भी सूचना जनपद से आयेगी वह मुख्य शिक्षा अधिकारी से सत्यापित होनी चाहिये।

(कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

6– 1–10–1990 से पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता सम्बन्धी :–

बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 01 अक्टूबर, 1990 से पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता सम्बन्धी प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है, जिस पर मा0 न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

7–वर्ष 2002 एवं 2004 में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी–

बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2002 एवं 2004 में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी मामला मा0 न्यायालय के विचाराधीन है, जिस पर मा0 न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

8–डी.पी.एड. व बी.पी.एड. प्रशिक्षण उपाधि धारकों के पद सृजन सम्बन्धी–

बैठक में विचार–विमर्श किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 407 राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में व्यायाम अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती की जा रही है। इसके उपरान्त यदि अन्य विद्यालयों में भी व्यायाम अंशकालिक अनुदेशकों की आवश्यकता प्रतीत होती है तो निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा)

9–अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद सीधी भर्ती से भरे जाने विषयक–

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तगर्त उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम–2009 के अध्याय–दो प्रस्तर–10 को शासन की अधिसूचना संख्या–504/XXIV-4/2011 दिनांक 18–10–2011 के द्वारा अशासकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता को जो 10 वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान प्राप्त कर रहे हों, को प्रधानाचार्य पद पर डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुये 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति एवं वेतनमान अनुमन्य है। तथा इसी प्रकार हाईस्कूल के वरिष्ठ स.अ. को प्रधानाध्यापक पद पर डाउन ग्रेड पदोन्नति हेतु साधारण वेतनमान में 10 वर्ष के पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करने पर उसे प्रधानाध्यापक पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुये 05 वर्ष डाउन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति एवं वेतनमान अनुमन्य है।

डाउन ग्रेड में पात्र शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में इन पदों को अधिनियम एवं विनियम की संगत धाराओं के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जाना प्राविधानित किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्य हेतु अर्ह अध्यापक उपलब्ध नहीं है, उनमें यथाशीघ्र सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रकिया आरम्भ की जाय।

(कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

10–जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों को एल.टी. घोषित किये जाने सम्बन्धी–

जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों को एल.टी. घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

11–अशासकीय विद्यालयों के प्रान्तीयकरण से सम्बन्धित–

ऐसे अशासकीय विद्यालयों का ही प्रान्तीयकरण किया जायेगा जो निर्धारित मानक पूर्ण करते हों व जहां कोई विवाद न हो। उक्त के सम्बन्ध में विधानसभावार प्रस्ताव मंगाये जाने पर विचार किया गया।

(कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

12–वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने विषयक–

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब किसी भी वित्त विहीन विद्यालय को अनुदान सूची में नहीं लिया जायेगा।

(कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

13–पत्राचार बी.टी.सी. प्रशिक्षतों पर चर्चा–

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अब प्राथमिक शिक्षकों के लिये बी.टी.सी. या डी.एल.एड. तथा टी.ई.टी. प्रथम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रकरण पर महाधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2013 में प्रदत्त परामर्श के अनुसार पत्राचार बी.टी.सी. अर्हताधारी प्राथमिक विद्यालयों में स0अ0 के पदों पर बिना टी.ई.टी. उत्तीर्ण किये नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। साथ ही इन्हें संविदा पर नियुक्ति भी प्रदान नहीं की जा सकती है।

(कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा)

14–अन्य बिन्दु, जिन पर निदेशकों प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को कार्यवाही के निर्देश दिये गये–

1. अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत जिन शिक्षकों ने स्थानान्तरण के फलस्वरूप अद्यतन कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है उनके विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलम्बन की कार्यवाही की जाय। **(कार्यवाही दिनांक 15 सितम्बर, 2013 तक)**
2. जिन अधिकारियों ने निदेशालय को गलत रिक्ति उपलब्ध कराई गई है, जिसके कारण पदोन्नति अध्यापक पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके, ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। **(कार्यवाही दिनांक 15 सितम्बर, 2013 तक)**

3. शिक्षकों के सम्बद्धीकरण निरस्त किये जाने की तत्काल आख्या उपलब्ध कराई जाय। साथ ही यदि किसी कार्मिक को किसी कार्यालय में सम्बद्ध करना अति आवश्यक हो तो औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत कर महानिदेशक की अनुमति से किया जाय।

4. लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित 15 दिनों के अन्दर आख्या महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाय।

5. शिक्षकों को बिना अवकाश स्वीकृति के कदापि निदेशालय में प्रवेश न दिया जाय एवं समस्त मण्डलीय व जनपदीय अधिकारी बिना निदेशक/महानिदेशक को बतायें मुख्या से बाहर नहीं जायेंगे। अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल को बिना उच्चाधिकारियों के अनुमति/संज्ञान में लाये मुख्यालय छोड़ने के सम्बन्ध में **एक सप्ताह के अन्दर** निदेशक, माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त कर महानिदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. बी.आर.पी./सी.बार.पी. की चयन प्रकिया नवीन संशोधित प्रकिया के अनुसार निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण करेंगे।

7. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव मांगे गये हैं। सम्बन्धित विद्यालयों के उच्चीकरण का प्रस्ताव निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा 05 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा)

अतः बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./शिविर/ 5699-5706 /2013–14 दिनांक 21 नवम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षतामें आहूत विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 09 नवम्बर, 2013 में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती उषा शुक्ला, अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. श्री सी.एस. ग्वाल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. श्री आर.के. कुंवर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
5. श्रीमती सीमा जौनसारी, अपर निदेशक, सीमैट/महानिदेशालय उत्तराखण्ड।
6. डॉ0 कुसुम पन्त, अपर राज्य परियोना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
7. श्री नरेन्द्र कुमार बहुगुणा, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
8. श्री मोहन सिंह नेगी, अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
9. डॉ0 सन्तोष कुमार शील, अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी.।
10. डॉ0 मुकुल कुमार सती, संयुक्त निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
11. श्री आर.के. तोमर, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
12. सुश्री माधुरी नेगी, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. श्री आर.सी. जुगरान, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. श्री महावीर सिंह बिष्ट, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
15. श्री पी.के. बिष्ट, संयुक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना उत्तराखण्ड।
16. श्री एस.बी. जोशी, राज्य परियोजना प्रबन्धक, साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
17. श्री गोविन्द राम जायसवाल, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
18. श्री वी.के. ढौंडियाल, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
19. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
20. श्री जी.एस. सौन, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
21. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
22. श्री ए.डी. बलोदी, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
23. श्री अत्रेय सयाना, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
24. श्री जितेन्द्र सक्सेना, उप निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
25. श्री नरवीर सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
26. श्री सी.पी.एस. राणा, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
27. श्री नागेन्द्र बड़थ्वाल, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
28. श्री जे.पी. काला, स्टॉफ आफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
29. श्री मनेष बर्थवाल, स्टॉफ आफिसर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
30. श्री दिनेश चन्द्र जोशी, अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–4, उत्तराखण्ड शासन।
31. श्री आर.पी. जोशी, समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
32. श्री पी.एम. नौटियल, अनुभाग अधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
33. श्री एस.सी. भट्ट, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
34. श्रीमती हेमलता भट्ट, विभागाध्यक्ष, सीमैट उत्तराखण्ड।
35. श्रीमती कमला बडवाल, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
36. श्री कृष्ण स्वरूप, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
37. श्री अशोक कुमार गुसांई, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
38. श्री अजय नौडियाल, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।